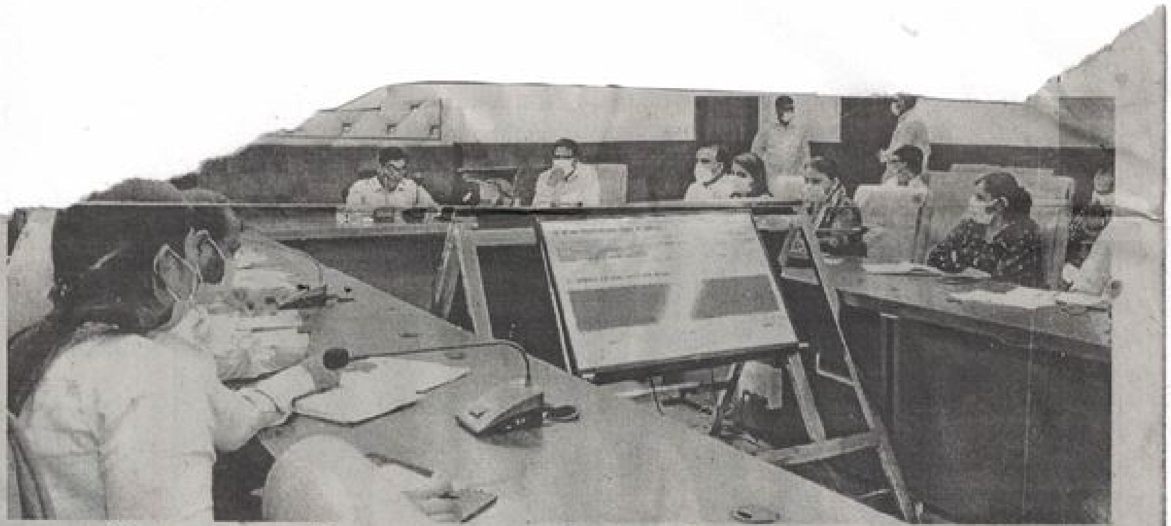

1 मार्च से 5 मार्च तक शासकीय अधिकारी पौधे लगाएँगे

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने शासकीय कार्यालय परिसरों तथा अन्य स्थानों पर पौधारोपण के लिए निर्देशित किया

रतलाम। आगामी 1 मार्च से 5 मार्च तक अंकुर अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। यह पौधारोपण शासकीय अधिकारियों द्वारा अशासकीय कार्यालय परिसरों में कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है जिनमें घर, बगीचे या खाली भूमि चिन्हित करके उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की, जहां सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि पौधारोपण के साथ ही उसकी जानकारी वायु दूत अंकुर ऐप पर अपलोड करना होगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वयं पौधारोपण करने के साथ-साथ अन्य 15 व्यक्तियों को भी पौधारोपण के लिए मोटिवेट करने के लिए निर्देशित किया। मौजूद अधीक्षण यंत्री विद्युत ने बताया कि उनके द्वारा 200 पौधे अधीक्षण यंत्री कार्यालय परिसर में लगा दिया गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ियों, स्कूलों में भी पौधे लगाए जाएं। प्रत्येक शिक्षक एक-एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले। विभागवार अधिकारियों की संख्या अनुसार आकलन के तहत जिले में 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य बैठक में तय किया गया। पौधारोपण करके वायुदूत अंकुर ऐप के माध्यम से जानकारी अपलोड की जा सकेगी अथवा एमपी सीएम इवेंट्स पोर्टल या मिस्डकाल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी। कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे वाले हिस्से में भी 200 पौधे लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने पौधारोपण को जनआंदोलन का रूप देने के लिए निर्देशित किया।

नगर निगम की कार्यवाही को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है।

शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है, लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यही कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे। 28-2-22 प्रभातकिरण

प्रभातकिरण 28-2-22

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को रतलाम स्थित श्री गढ़ कैलाश मंदिर पहुंचे। उन्होंने आगामी महाशिवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत मंदिर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम राजेश शुक्ला, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

कार्यवाही को लेकर विधायक से मिले व्यापारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तु: स्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहाँ कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

[illegible] 28-2-22

आपत्तिजनक संदेश, पोस्ट इत्यादि प्रतिबंधित

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु संपूर्ण रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट, संदेश, चित्र, वीडियो, ऑडियो इत्यादि द्वारा आम जनता को भ्रमित किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में रहेगा।

धरने के लिए शहर में स्थान तय होगा, ट्रैफिक भी सुधारेंगे

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आगामी त्योहारों का आयोजन पूर्ण सौहार्द, भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण रूप से होगा। इस संकल्प को लेकर रविवार शाम जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व एसपी अभिषेक तिवारी ने होलिका दहन, धुलेंडी, छड़ी यात्राओं तथा अन्य आयोजनों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं से अवगत कराया।

कलेक्टर ने शहर से जुड़े जनहित के मुद्दों पर बताया कि शहर के विभिन्न बाजारों में सड़क निर्माण के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए अतिशीघ्र सुनियोजित प्रबंध किए जाने वाले हैं। शहर एसडीएम राजेश शुक्ला को निर्देशित किया कि मैरिज गार्डन का निरीक्षण करते हुए गंदगी फैलाने तथा रात्रि 10 बजे बाद डीजे चलाने के विरुद्ध कारवाई की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि शहर में धरना प्रदर्शन के लिए एक स्थान नियत कर दिया जाएगा ताकि धरना प्रदर्शन गतिविधि से आम आदमी को दिक्कत नहीं आए। कलेक्टर ने स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए शहर को अच्छी रैंकिंग दिलाने के लिए सभी से सहयोग मांगा। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के संबंध में सदस्यों से अनुरोध किया। बैठक में सदस्य गोविंद काकानी, मनोहर पोरवाल, शैलेंद्र डागा, पवन सोमानी, मकसूद काजी, सलीम आरिफ, फैयाज मंसूरी, तेजराम प्रजापति, महेंद्र गादिया, अशोक चौटाला, ओमप्रकाश त्रिवेदी, विनोद मिश्रा मामा, मोहम्मद यूनुस ताज, बृजेश राठौर, निजाम रही, सुरेंद्र ललवानी आदि उपस्थित रहे।

[illegible] 28-2-2

विधायक से मिले डिस्पोजल व्यापारी

रतलाम ● नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तु:स्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया।

[illegible] 28-2-22

नगर निगम की कार्यवाही को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तुरूस्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करनेए शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफनमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा हैए लेकिन दूसरी तरफनिगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरनाए अर्पित अग्रवालए विजय अग्रवालए यशवंत राठौरए संदीप उपाध्यायए शेखर घोचाए त्रिलोक तिकवानीए प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

[illegible] 28-2-22

अब नगर को साक्षर नहीं कहा जा सकता

जहां गाए जाते थे तराने कभी आजादी के वहां आज...

रतलाम ● शरद जोशी

रतलाम कभी साक्षर नगर के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन यहां के नागरिकों की उदासीनता, निष्क्रियता के चलते इस नगर को अब साक्षर नहीं कहा जा सकता। इसके कारण भी अनेक हैं, जिसकी गहराई में हम जाना नहीं चाहते। हम याद दिलाते हैं उस आजाद चौक की, जो आजादी के बाद अशोक चक्र लगाकर इसे आजादी का स्मारक बनाया गया था। कई प्रसिद्ध नेता इस ऐतिहासिक स्थल के साक्षी रहे हैं।

यहां राजशाही के जमाने में और उसके बाद भी कुछ वर्षों में आजादी के तराने गाकर कई सपने देखा करते थे। आजादी के बाद यहां चौक बनाया गया, जिसका नाम आजाद चौक रखा गया, जहां सभाएं, कवि सम्मेलन, नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन होते थे। इसे चांदनी चौक भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आसपास चांदी-सोने की दुकानें थीं और आज भी हैं।

नगरपालिका और उसके बाद नगर निगम बैठे हमारे कर्णधारों को इस आजादी के स्मारक आजाद चौक को खाली रखना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसके बाहरी गोलाकार में दुकानें बना दीं और बाद में आए लोगों ने इसके अंदर दुकानें बनाने की बात कही, ताकि नगर निगम को आमदनी होती रहे और इसके उपर आडिटोरियम जैसा हाल बनाने की बात भी कही गई थी। न तो अंदर दुकानें बनीं और ना ही आडिटोरियम जैसा सभागृह और आज यह खण्डर के रूप में नजर आता है। जो दुकानें उस समय बनी होंगी वह भी नहीं बनीं और न्यायालयीन आदेश के बाद यह 15 साल से भी अधिक समय से यथा स्थिति में है।

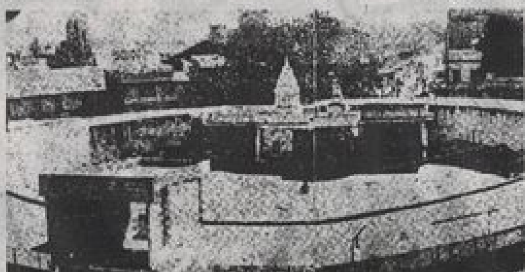

पहले इस तरह दिखाई देता था आजाद चौक

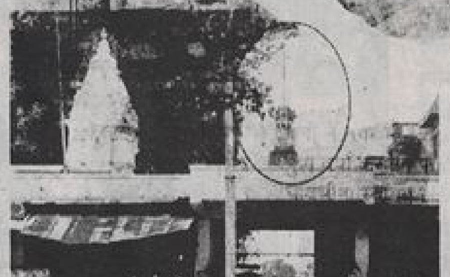

इस तरह पहले अशोक चक्र लगा स्तम्भ दिखाई देता था

चित्र में टूटा हुआ अशोक चक्र और अधूरा पड़ा निर्माण कार्य।

पहले लोगों को भ्रमित किया गया कि इसके ऊपर सभागृह बनाया जाएगा। पता नहीं, क्या-क्या सपने दिखाए गए जो आज तक अधूरे हैं। न्यायालय ने क्या आदेश दिए और क्यों काम रुका यह तो लोग जानें, जिन्होंने न्यायालय में दस्तक दी। आज यह स्थल अनैतिक कार्यों के लिए भी खुला हो गया है। इसका उपयोग पेशाबघर के रूप में भी लोग करने लगे हैं। पूर्व निगम परिषद और निगम प्रशासन ने कई अधूरे निर्माण कार्यों की तरह इस अधूरे निर्माण कार्य की भी कभी कोई सुध नहीं ली और ना ही न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जनहित में कोई निर्णय कराने में भूमिका अदा की। आज भी निगम भवन के सामने अधूरा स्वीमिंग पुल, राजीव गांधी सिविक सेंटर, महू रोड़ की दुकानों के साथ यह मार्केट भी खण्डर का रूप लेता जा रहा है। जनहित में इनका उद्धार करना होगा, जो निगम और जनता के हित में है।

स्वदेश 28-2-22

सिटी फोरलेन से हटाने लगे अतिक्रमण, 6 गुमटियां और दो वाहन जब्त किए

भास्कर संवाददाता | रतलाम

देर से ही सही नगर निगम के अमले सैलाना सिटी फोरलेन के फुटपाथ तक पसर चुका कच्चा-पक्का अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। रविवार को मुहिम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रारंभ हुई। इसमें आईटीआई की बाउंड्रीवॉल के सहारे लगाई गुमटियों को हटाया।

दोपहर 1.15 बजे तक चली कार्रवाई में अतिक्रमण तोड़ने के साथ 6 गुमटियों को नगर निगम, जबकि दो खटारा करके फुटपाथ पर खड़े कर छोड़ दिए वाहनों को यातायात अमले ने जब्ती में लिया। कार्रवाई इंजीनियर राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में अतिक्रमण दस्ते ने की। बता दें कि 16 फरवरी को नगर निगम द्वारा कस्तूरबा नगर गली नंबर 7 में 11 मकानों का अतिक्रमण तोड़ा था। यह कार्रवाई तो उसने न्यायालय के आदेश पर की थी, लेकिन सैलाना सिटी फोरलेन के अतिक्रमण पर नजर तक नहीं डाली। इसे मुद्दे को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था। असर यह हुआ कि निगम ने मुहिम शुरू कर दी है, बस यह दिखावटी न निकले।

भास्कर ने उठाया था मुद्दा

17 फरवरी को प्रकाशित खबर।

नगर निगम अगर लगातार मुहिम चलाए तो बढ़ सकती है सिटी फोरलेन की सुंदरता

आईटीआई की बाउंड्रीवॉल के सहारे पक्का ओटला बनाकर लगाई गुमटी हटाता निगम का अमला। भास्कर 28/2/22

अफसर चाहे तो सैलाना सिटी फोरलेन की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। जरूरत है अतिक्रमण मुहिम को लगातार चलाए रखने की। राम मंदिर से सज्जन मिल गेट तक दोनों तरफ दुकानदारों ने निर्माण या सामान रखकर स्थाई व अस्थाई कब्जा कर रखा है। इनकी तरफ निगम अफसरों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ दुकानदार काउंटर, आलमारी, वाहन रखकर तो कुछ भट्टी व अन्य सामान रखकर दिनभर दुकानदारी करते हैं। इससे परेशानी ग्राहकों को उठाना पड़ती है, जिन्हें खरीदारी के लिए वाहन सड़क पर खड़े करना पड़ते हैं। करीब डेढ़ साल पहले निगम ने कुछ दुकानों का अतिक्रमण हटाया था, लेकिन इसके बाद फिर ध्यान देना बंद कर दिया। इसका फायदा उठाकर दुकानदारों ने फिर फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है।

ट्रांसपोर्ट नगर के बाद गोल्ड पार्क के टेंडर भी जारी

बदलेगी शहर की तस्वीर ● आडिटोरियम, जिला अस्पताल के नए भवन सहित शासकीय आवास बनेंगे

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना काल से उबरने के बाद अब शहर को नई पहचान दिलाने वाली विकास योजनाओं के कामों में तेजी आ गई है। रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के टेंडर जारी करने के बाद रविवार को रिडेंसीफिकेशन योजना में प्रस्तावित गोल्ड पार्क (जैम्स व ज्वैलरी) को बनाए जाने के लिए नोडल एजेंसी मप्र हाउसिंग बोर्ड ने भी टेंडर जारी कर दिए। अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

96 करोड़ रुपये की इस योजना में प्रस्तावित कामों पर हाउसिंग बोर्ड को दी जाने वाली सुपरविजन की राशि व विकास कार्यों की लागत मिलाकर करीब 76 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जमीन से 96 करोड़ रुपये मिलना प्रस्तावित है। करीब 20 करोड़ रुपये की राशि बचेगी। इससे स्टेशन रोड थाने के पास स्थित पुलिस कालोनी के आवास भी नए सिरे से बनाए जाएंगे। इस योजना से शहर में व्यापार व आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके साथ ही रिंग रोड भी दो साल में बनकर तैयार हो जाएगा।

6 साल में धरातल पर आई योजना

मालूम हो कि वर्ष 2015 से रिडेंसीफिकेशन योजना पर काम चल रहा है। 22 अप्रैल 2017 को तत्कालीन साधिकार समिति ने आडिटोरियम व शासकीय आवास को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन 2018 में सरकार बदलने के बाद काम नहीं हो पाया। शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने भी लगातार मानीटरिंग की। दो फरवरी को भोपाल में प्रदेश के मुख्य सचिव इकबालसिंह बैस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य साधिकार समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आनलाइन प्रजेंटेशन दिया था। इसके बाद समिति ने योजना स्वीकृत कर दी थी।

नईदुनिया 28-2-22

2.490

हेक्टेयर जमीन पर बनेगा गोल्ड पार्क निगम के सामने

नगर निगम के सामने की करीब 2.490 हेक्टेयर जमीन पर गोल्ड पार्क बनेगा। इसकी कीमत शासकीय मान से करीब 96 करोड़ रुपये आंकी गई है। पीपीपी मोड में निजी एजेंसी इस कीमत के बदले योजना में शामिल भवन आदि बनाएगी। इसके साथ ही गोल्ड पार्क का निर्माण भी करेगी। पार्क की दुकानों, शोरूम को निजी एजेंसी विक्रय कर पूरी लागत निकालेगी।

शहर विकास की 3 अहम योजनाओं की स्थिति

गोल्ड पार्क योजना
वर्तमान स्थिति-टेंडर प्रक्रिया 05 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी।

- 96 करोड़ राशि मिलना प्रस्तावित जमीन से
- 50 करोड़ से जिला अस्पताल में 300 बेड का नया भवन बनेगा
- 1 करोड़, आफिसर कालोनी विकास कार्य में खर्च होंगे
- 8.82 करोड़ से बनेंगे 47 कर्मचारी आवास
- 14.77 करोड़ से बनेगा 1000 सीटर आडिटोरियम

पश्चिमी रिंग रोड
वर्तमान स्थिति-भू-अर्जन प्रक्रिया शुरू, मार्च से काम शुरू होगा।

- 24 किमी लंबाई
- 43 करोड़ रुपये लागत
- 7-7 मीटर चौड़ाई
- गांव [illegible] जुलवानिया, बिबड़ोद, सागोद, [illegible]
- 2 मीटर साइड शोल्डर

ट्रांसपोर्ट नगर
वर्तमान स्थिति-टेंडर प्रक्रिया 28 मार्च तक पूरी हो जाएगी।

- 31.18 करोड़ रुपये, निर्माण कार्यों पर लागत
- 181600 वर्गमीटर, कुल एरिया
- 733 वर्गमीटर क्षेत्र में 66 मीटर चौड़ी सड़क
- 11823 वर्ग मी. 18 मीटर चौड़ी सड़क
- 83204.7 वर्ग मी. क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर के लिए भूखंड
- 99 प्लाट की संख्या
- 18 छोटी दुकानें
- 14478 वर्गमी. पार्किंग एरिया

> गोल्ड पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर के टेंडर जारी हो गए है। समय पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सराफा व ट्रांसपोर्ट व्यापार को भी इससे नई पहचान मिलेगी।
> **- चैतन्य काश्यप**, शहर विधायक

> रिडेंसीफिकेशन योजना में अब कोई अड़चन नहीं है। योजना में आने वाली राशि से शहर विकास के काम होंगे।
> **- कुमार पुरुषोत्तम**, कलेक्टर

सौहार्द एवं भाईचारे के साथ त्यौहारों के शांतिपूर्ण आयोजन का संकल्प लेकर संपन्न हुई शांति समिति की बैठक

धरना -प्रदर्शन के लिए शहर में निश्चित होगा एक स्थान, बैठक में कलेक्टर ने माना शहर की यातायात व्यवस्था अपेक्षित नहीं

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम 28-2-22

आगामी त्यौहारों का आयोजन पूर्ण सौहार्द, भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण रूप से होगा। इस संकल्प को लेकर रविवार शाम जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने त्यौहारों उत्सव के आयोजन के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं से सदस्यों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आयोजनों में पुलिस व्यवस्था तथा आवश्यक सतर्कता की जानकारी दी।

बैठक के प्रारंभ में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य ने क्रमवार त्यौहारों के आयोजन तथा उस दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशासनिक कार्रवाईयों की जानकारी दी। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा नगर निगम के दायित्व को पूर्ण करने के सम्बंध में सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में एडिशनल एसपी सुनील पाटीदार, एस डी एम राजेश शुक्ला, डिप्टी कलेक्टर सुश्री कृतिका भीमावद, शहर काजी अहमद अली, सी एस पी हेमंत चौहान, थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला, तहसीलदार गोपाल सोनी, सदस्य तेजराम प्रजापति, महेंद्र गादिया, अशोक चौटाला, प्रदीप उपाध्याय, ओमप्रकाश त्रिवेदी, विनोद मिश्रा मामा, गोविंद काकानी, मनोहर पोरवाल, शैलेन्द्र डागा, पवन सोमानी, मकसूद काजी, सलीम आरिफ, फैयाज मंसूरी, मोहम्मद यूनुस ताज, बृजेश राठौर, निजाम राही, सुरेंद्र ललवानी आदि उपस्थित थे।

बैठक में आगामी होलिका दहन, धुलेंडी, छड़ी यात्राओं तथा अन्य आयोजनों पर की जाने वाली व्यवस्थाओं तथा विभिन्न अनुमतियों के संबंध में अवगत कराया गया। सफाई, विद्युत व्यवस्था, जलापूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था, एंबुलेंस, आपात चिकित्सा इत्यादि के लिए संबंधित विभागों को कलेक्टर द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने अनुरोध किया कि त्योहारों के उत्साह के साथ आयोजन में असावधानी नहीं रखें। कोई दुर्घटना नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि विभिन्न त्योहारी आयोजनों में इस बात का ख्याल रखा जाए कि नदी-नालों पर कोई दुर्घटना नहीं हो। होलिका दहन स्थलों पर व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा समय सीमा में जायजा लिया जावे। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्कता बरती जाएं।

बैठक में सदस्यों द्वारा भी शहर में जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए। मनोहर पोरवाल द्वारा प्रमुख रूप से जनहित के मुद्दों को रखा गया। उनके अलावा गोविंद काकानी, महेंद्र गादिया, शैलेंद्र डागा, अशोक चौटाला, प्रदीप उपाध्याय, मकसूद काजी, सलीम आरिफ, पवन सोमानी आदि ने भी जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम में इस दौरान शहर से जुड़े जनहित के मुद्दों पर बताया कि शहर के विभिन्न बाजारों में सड़कों के निर्माण हेतु टेंडर जारी कर दिए गए हैं। शहर में ट्राफिक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है, इसमें सुधार के लिए अतिशीघ्र सुनियोजित प्रबंध किए जाने वाले हैं। डीजे तथा बैंड के संबंध में नियमानुसार व्यवस्था पर बताया कि समय सीमा के बाद डीजे संचालन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। परीक्षाओं के दृष्टिगत स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों का ख्याल रखा जाएगा। शहर एसडीएम श्री शुक्ला को निर्देशित किया कि मैरिज गार्डन का निरीक्षण करते हुए गंदगी फैलाने तथा रात्रि 10 बजे बाद डीजे चलाने के विरुद्ध कारवाई की जाए। बगैर अनुमति संचालन पर भी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि शहर में धरना प्रदर्शन के लिए एक स्थान नियत कर दिया जाएगा ताकि धरना प्रदर्शन गतिविधि से आम आदमी को दिक्कत नहीं आए। कलेक्टर ने स्वच्छ सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए शहर को अच्छी रैंकिंग के लिए सभी नागरिकों से सहयोग प्राप्ति हेतु अनुरोध किया। निगमायुक्त श्री झारिया द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने के संबंध में सदस्यों से अनुरोध किया गया।

अवैध कॉलोनियों का नियमितिकरण • एक कदम और आगे बढ़ी प्रक्रिया, पुरानी और नई मिलाकर 65 होंगी वैध

शहर की अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे 44 पाइंट पर होगा, सात दिन में देना होगी रिपोर्ट

कॉलोनी सेल के निर्देश पर टीम गठित, इनमें आरआई, पटवारी और निगम इंजीनियर शामिल

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर की अवैध कॉलोनियों पता लगाकर उनकी मैदानी हकीकत पता करने अब राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम सर्वे करेगी। 44 पाइंट पर होने वाले सर्वे के लिए प्रशासन की कॉलोनी सेल के आदेश पर नगर निगम ने टीम बना ली है। इनमें आरआई, पटवारी और निगम के इंजीनियर शामिल किए हैं। टीम पहले से चयनित 50 अवैध कॉलोनियों के साथ ही नई अनधिकृत कॉलोनियां भी चिन्हित करेगी। इसके बाद वैध होने वाली कॉलोनियों की संख्या 65 तक पहुंच जाएगी क्योंकि नियमों के दायरे में 31 दिसंबर 2016 के पहले अनडवलप कॉलोनियों को शामिल किया जाएगा। 4 मार्च तक टीम को सारी अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वे कर 5 मार्च को फाइनल रिपोर्ट सब्मिट करना है। इस आधार पर ही नियमितिकरण प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही अवैध कॉलोनियों के अधूरे विकास कार्यों को एस्टीमेट बनाकर पूरा किया जाएगा। नियमितिकरण की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही तो साल अंत तक अवैध कॉलोनियों वैध होकर डवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इससे 18 हजार से ज्यादा को राहत मिलेगी। सिटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास ने बताया टीम बना ली है। सोमवार को आदेश होने के बाद एक-दो दिन में सर्वे शुरू हो जाएगा।

रहवासियों की तरफ से आए अवैध कॉलोनियों के नाम : नगर निगम ने शहरवासियों से 3 मार्च तक अनधिकृत कॉलोनियों की जानकारी देने को कहा था। अब तक 17 से ज्यादा कॉलोनियों की जानकारी निगम तक पहुंच गई है। इनके साथ लोगों ने रिकॉर्ड भी दिया है। सर्वे में पुरानी सूची में शामिल 50 अवैध कॉलोनियों के साथ इन कॉलोनियों के नाम शामिल किए जाएंगे।

अभी निगम की सूची में अवैध कॉलोनियां

मालवानगर व पीएंडटी कॉलोनी, वर्धमाननगर (सेक्टर-2), महेशनगर (इंदिरानगर), राजीवनगर (राजगढ़), महेशनगर (राजगढ़), कोमलनगर (राजगढ़), सौभाग्य नगर, निरालानगर, मोहननगर, श्रृंगी नगर, गणेशनगर, शक्तिनगर, आदर्शनगर, पटवारी कॉलोनी, सखवालनगर, धीरजशाहनगर, संजयनगर, रेलनगर (राजगढ़), गणेश नगर (राजगढ़), कल्याण नगर, करमदी रोड (तेजानगर ब्लॉक नं 02 के पास), ज्योतिनगर (करमदी), समतानगर, श्रीरामनगर, अभय नगर, जनता नगर कॉलोनी, बाणेश्वरी गृह निर्माण सहकारी समिति, भवानीनगर (राजगढ़), त्रिमूर्ति नगर सैलाना रोड, करण नगर, करमदी रोड सांवरिया मंदिर के सामने, आंधा सेठ की पुलिया के पास गुलाबशाहवली दरगाह रोड की कॉलोनी, सरस्वती नगर चमारिया नाका, अशोक नगर, लक्ष्मीनगर सी कालोनी, रत्नेश्वर रोड कॉलोनी, भांबी गृह निर्माण समिति ऊंकाला रोड, बसंत कॉलोनी, मिल्लत नगर, न्यू पटेल कॉलोनी, लालजी का बाग, प्रतापनगर के सामने (आरओबी) के नीचे, होमगार्ड कॉलोनी के पीछे गली नंबर 4, राजस्वनगर, रहमतनगर, बापूनगर, राजू नगर डीजल शेड के पास, राम रहीम नगर, मौलाना आजाद नगर, हम्माल नगर, सैफी नगर, विक्रम नगर होटल कॉसमॉस के पीछे, शिवनगर, भवानीनगर के सामने राजगढ़, बुद्धेश्वर रोड सैनिक कॉलोनी के पास।

28-2-22

नियमितिकरण के नए नियम

- जनता की जानकारी के आधार पर लिस्ट बनेगी, दावे-आपत्तियां को निराकरण होगा।
- फाइनल लिस्ट बनते ही सबसे पहले कॉलोनाइजरों पर पुलिस केस दर्ज करवाया जाएगा।

सालभर से अटकी थी प्रोसेस, अब आई तेजी

25 मार्च 2021 को नगर पालिका विधि संशोधन बिल पास हुआ था। 13 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन के बाद से तेज हुई है। प्रदेश में सबसे पहले 2014-15 में विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयास से पहली बार शहर की 17 कॉलोनियों को वैध करके रतलाम रोल मॉडल बना था। दूसरी बार में 2018 में 33 कॉलोनियों को वैध किया था। भाजपा सरकार ने 6000 हजार से ज्यादा कॉलोनियों को वैध करते हुए विकास कार्य शुरू करवाए थे, जो 2019 में न्यायालय के आदेश के बाद रुक गए थे।

एस्टीमेट और नक्शा बनाकर अधूरे डवलपमेंट वर्क को पूरा किया जाएगा : रहवासियों विकास शुल्क भी भरना होगा। 70 फीसद से अधिक निम्न आय वर्ग वाली कॉलोनी में विकास कार्यों के खर्च का 20 प्रतिशत रहवासियों को, बाकी 80 प्रतिशत सरकार विभिन्न मद से मिलाएगी।

▪ अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को जल्द राहत मिलेगी। लगातार फॉलोअप करके नियमितिकरण की प्रक्रिया तेजी से करवा रहे हैं। सर्वे पूरा होते ही कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद डवलपमेंट शुरू हो जाएगा।

चेतन्य काश्यप,
विधायक

सीवरेज ट्रीटेड वाटर का रियूज कर भू-जल स्तर बचायें

रतलाम। नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यों में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड़ पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। इसके विक्रय हेतु नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित की गई है जिसके तहत 50/- प्रति किलोलीटर, 3000 क्षमता टैंकर 150/-, 4000 क्षमता टैंकर 200/-, 5000 क्षमता टैंकर 250/-, 12000 क्षमता टैंकर 600/-, 24000 क्षमता टैंकर 1200/- है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्यों, खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकते है जिससे राशि की बचत होने के साथ ही भू-जलस्तर भी बना रहेगा। शहर में निजी ट्यूबवेलों से टैंकरो द्वारा पानी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ट्यूबवेल मालिक निर्माण कार्यों एवं सिंचाई हेतु पानी का विक्रय ना करें अन्यथा की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 28-2-22

पशु वाहन के 4 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

28-2-22

रतलाम। निगम आयुक्त द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवारा पशु विचरण करते पाये जाने व पशु वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा आवारा पशुओं को कहीं भी पकड़ते हुए नहीं पाये जाने पर नियुक्त कर्मचारी चरणसिंह-भारतसिंह, मेहबूब-कालेखां, रामा व पूनमचन्द-रतन का एक दिवस का वेतन काटा गया। इसके अलावा माणक चौक वाचनालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मनोज कुमार जैन द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

भास्कर खास • संस्था का वाहन तय समय पर रोज 120 कॉलोनियों में पहुंच रहा

ये हैं सफाई के असली हीरो : रोज सब्जियों के छिलके और बचीं रोटियां इकट्ठा कर पहुंचा रहे गोशाला

जितेंद्र श्रीवास्तव | रतलाम

संस्था 6 साल से कर रही हैं सेवा, सड़कों पर गंदगी न हो और गायें भी भूखी ना रहें

स्वच्छ भारत अभियान में शहर की कॉलोनियों में भले दो, से तीन दिन में लोगों के घरों तक कचरा वाहन पहुंच रहे हैं। एक संस्था ऐसी है जो सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संस्था के सदस्य घरों से सब्जियों के छिलके और बचीं रोटियां इकट्ठा कर गोशाला पहुंचा रहे हैं। इससे जहां शहर की सफाई में मदद हो रही है वहीं गोशालाओं की गायों के भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है। ये संस्था है वाघेला गोसेवा ग्रुप। संस्था सदस्य तीन वाहनों के जरिए रोज शहर के 9 हजार घरों तक पहुंचकर सब्जियों के छिलके और रोटियां इकट्ठा कर रहे हैं।

शेष | पेज 7 पर

घरों से सब्जियों के छिलके एकत्र करते वाघेला गोसेवा ग्रुप के सदस्य।

संस्था ने अनूठी सेवा की शुरुआत 6 साल पहले 2016 में की थी। तब संस्था के पास एक वाहन था। यह 12 मोहल्लों में पहुंचता था। आज तीन गाड़ियां चल रही है। संस्था के तीन वाहन 120 कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं। इससे शहर में सफाई में तो मदद मिल ही रही है साथ ही वाहन के जरिए तीन लोगों को रोजगार भी मिला है। जनसहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है।

28-8-22 भास्कर

सिटी ब्यूटीफिकेशन के कार्य में ओर अधिक गति लाएं

निगम आयुक्त ने बैठक में दिये निर्देश

रतलाम। स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर सॉलिड वेस्ट, सिटी ब्यूटीफिकेशन, ट्रीटेड वॉटर के रियूज, पॉलीथीन प्रतिबंध किये जाने के निर्देष संबंधितों को दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देशित किया सड़कों से सॉलिड वेस्ट उठाने, सड़कों की साईडों व डिवाईडरों से धूल व घांस-फूस हटाने का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाये। शासन निर्देशानुसार 1 से 5 मार्च तक चलाये जाने वाले अंकूर अभियान के तहत पौधारोपण की कार्ययोजना 2 दिवस में तैयार करने, नगर के प्रत्येक वार्ड के एक-एक स्थान पर ब्यूटीफिकेषन के कार्य तेजी लाने के निर्देश के साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान में तेजी लाने के निर्देश निगम आयुक्त ने संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त ने आयोजित बैठक में ट्यूबवेलों का व्यावसायिक उपयोग करने वालो का सर्वे 3 दिवस में पूर्ण करने, स्वच्छता एप पर प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा मे निराकरण करने, खाली प्लाट के स्वामियों को नोटिस जारी करने निर्देश दिये।

राज [illegible] 28-2-22

ट्यूबवेल के पानी का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित

सीवरेज ट्रीटेड वाटर का रियूज कर भू-जल स्तर बचाएं

28-2-22

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यों में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्यों, खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकते है। इससे राशि की बचत होने के साथ ही भू-जलस्तर भी बना रहेगा। निजी ट्यूबवेलों से टैंकरो द्वारा पानी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ट्यूबवेल मालिक निर्माण कार्यों एवं सिंचाई हेतु पानी का विक्रय ना करें वरना कार्यवाही की जायेगी।

सीवरेज योजना के करमदी व खेतलपुर एसटीपी प्लांट में सीवरेज वॉटर को ट्रीटेड किया जाकर नगर निगम द्वारा उसका रियूज किया जा रहा है जिसके तहत 8 दिनों में करमदी एसटीपी प्लांट से 5.30 लाख व खेतलपुर एसटीपी प्लांट से 5.50 लाख लीटर पानी का रियूज करते हुए नगर निगम के उद्यानों में सिंचाई, आग बुझाने हेतु फायर लॉरी में, वाहनों की धुलाई, रोड डिवाईडरों की सफाई व डिवाईडर में लगे पौधो में सिंचाई के कार्य में उपयोग लिया गया।

स्वच्छता बढ़ाने के लिए भी दिए निर्देश

स्वच्छता कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक लेकर सॉलिड वेस्ट, सिटी ब्यूटीफिकेशन, ट्रीटेड वॉटर के रियूज, पॉलीथीन प्रतिबंध किये जाने के निर्देष संबंधितो को दिये। श्री झारिया ने सड़कों की साईडों व डिवाईडरो से धूल व घांस-फूस हटाने का कार्य प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाये। निर्देशानुसार 1 से 5 मार्च तक चलाये जाने वाले अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण की कार्ययोजना 2 दिवस में तैयार करने, नगर के प्रत्येक वार्ड के एक-एक स्थान पर ब्यूटीफिकेषन के कार्य तेजी लाने के निर्देष के साथ ही 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान में तेजी लाने के निर्देष निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधितों को दिये।

पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 दुकानदारों पर जुर्माना

अभियान के तहत 26 फरवरी को पटेल दूध भण्डार रानीजी का मंदिर पर 1000, सागर नमकीन रानीजी का मंदिर, श्रीराम प्लास्टिक, नाकोड़ा प्लास्टिक, सागर डिस्पोजल व श्रीजी डिस्पोजल नाहरपुरा पर 500-500 रुपए का जुर्माना कर 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग ना करने की समझाईश दी। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

एक और बड़ी शुरुआत • नगर निगम के सामने वाले गांधी उद्यान के पीछे 2.49 हेक्टेयर में बनाया जाना है गोल्ड कॉम्प्लेक्स

तीन माह में आकार लेने लगेगा गोल्ड कॉम्प्लेक्स, टेंडर प्रक्रिया शुरू

बीडर से एक माह में होगा ट्राय पार्टी एग्रीमेंट

28-2-22

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सोने और चांदी के कारोबार को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। रि-डेंसिफिकेशन योजना में बनाए जाने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स के लिए मप्र हाउसिंग बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहला टेंडर पार्टी क्वालिफाई करने के लिए निकाला है। इसमें एक माह का समय लगेगा।

बीडर सामने आने के बाद फाइनल टेंडर होगा। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो नगर निगम के सामने वाले गांधी उद्यान के पीछे 2.49 हेक्टेयर में बनने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स का काम मई-जून में शुरू हो सकता है। प्रोजेक्ट में 167 करोड़ के निवेश की उम्मीद। 90 करोड़ सिर्फ जमीन के बदले प्रशासन को मिलेंगे। चार मंजिला गोल्ड कॉम्प्लेक्स में 605 दुकानें, शोरूम और प्रोडक्शन यूनिट्स की जगह रहेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए सराफा कारोबार से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यापारियों के लिए स्पेस रहेगा। अक्टूबर में यह प्रोजेक्ट प्रशासन ने रतलाम विकास प्राधिकरण से छिनकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपा था। इस बदलाव का असर यह हुआ कि धीमी गति से चल रही प्रोजेक्ट की फाइलें दौड़ने लगी हैं।

ऐसी है रि-डेंसीफिकेशन योजना

- गोल्ड एंड ज्वेलरी पार्क- चार मंजिला गोल्ड कॉम्प्लेक्स 167 करोड़ से बनेगा। 605 दुकानें, शोरूम और प्रोडक्शन यूनिट्स रहेंगी।
- कलेक्टोरेट बी विंग- सालाखेड़ी फोरलेन स्थित नए कलेक्टोरेट के पीछे 9 करोड़ के खर्च से बनेगी। 20 से ज्यादा से ज्यादा अधिकारी चैंबर व अन्य कमरे होंगे।
- ऑडिटोरियम- कॉमर्स कॉलेज के पीछे बनने वाला ऑडिटोरियम अब 750 सीट क्षमता का बनेगा। पहले 1000 का प्रस्तावित था।
- ऑफिसर्स क्वार्टर- ऑफिस कॉलोनी स्थित पुराने जर्जर मकानों को तोड़कर जगह 100 क्वार्टर का निर्माण होगा। इस पर 12 करोड़ खर्च होंगे।
- जिला अस्पताल भवन - पुराने की जगह चार मंजिला नई बिल्डिंग बनेगी। 300 बेड क्षमता वाली अस्पताल की नई बिल्डिंग लगभग 50 करोड़ की लागत से बनेगी।

सराफा बाजार को नई पहचान देने वाला गोल्ड कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसके टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक टेंडर पार्टी क्वालिफाई करने के लिए हैं। उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगी।

चेतन्य काश्यप, विधायक

टेंडर होने में एक महीना लगेगा। इसमें बीडर सामने आएंगे, जिससे ट्राय पार्टी एग्रीमेंट होगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी होगा। संभवतः अप्रैल-मई में काम होने लगेगा।

बी. राजकुमार, ईई-मप्र हाउसिंग बोर्ड

100 मॉइक्रान से कम मोटाई की पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

अमानक स्तर की पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 दुकानदारों पर जुर्माना

28.2.२२

रतलाम(आरएनएन)। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फेर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिरर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देषानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत 26 फरवरी को पटेल दूध भण्डार रानीजी का मंदिर पर 1000, सागर नमकीन रानीजी का मंदिर, श्रीराम प्लास्टिक, नाकोड़ा प्लास्टिक, सागर डिस्पोजल व श्रीजी डिस्पोजल नाहरपुरा पर 500-500 रूपये का जुर्माना कर 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग ना करने की समझाईश दी। रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

रात्रि कालीन सफाई के 9 सफाई मित्रों का 1 दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगर की 4 व 2 लेन सड़क, मुख्य सड़के, व्यावसायिक क्षेत्र, प्रमुख चौराहे, उद्यान आदि की रात्रीकालिन सफाई हेतु नियुक्त 100 सफाई मित्रों मे से 9 सफाई मित्रो द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के तहत विकास-किशोर, अमन-रमेश, संजय-पवन, प्रदीप-विजय, रवि-मासुम, सुनील-रतन, संदीप-संजय, शेखर-मदन व आनन्द-बाबुलाल बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर 1 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। बिना सूचना के लगातार तीन दिवस अनुपस्थित रहने वाले सफाई मित्रों को सेवा से बर्खास्त किया जायेगा। 28.2.22

कलेक्टर ने शासकीय कार्यालय परिसरों तथा अन्य स्थानों पर पौधारोपण के लिए निर्देशित किया

1 मार्च से 5 मार्च तक शासकीय अधिकारी लगाएँगे पौधे

रतलाम। आगामी 1 मार्च से 5 मार्च तक अंकुर अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। यह पौधारोपण शासकीय अधिकारियों द्वारा अशासकीय कार्यालय परिसरों में कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है जिनमें घर, बगीचे या खाली भूमि चिन्हित करके उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की, जहां सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे द्वारा अभियान की जानकारी देते हुए बताया गया कि पौधारोपण के साथ ही उसकी जानकारी वायु दूत अंकुर ऐप पर अपलोड करना होगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वयं पौधारोपण करने के साथ-साथ अन्य 15 व्यक्तियों को भी पौधारोपण के लिए मोटिवेट करने के लिए निर्देशित किया। मौजूद अधीक्षण यंत्री विद्युत ने बताया कि उनके द्वारा 200 पौधे अधीक्षण यंत्री कार्यालय परिसर में लगा दिया गए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ियों, स्कूलों में भी पौधे लगाए जाएं। प्रत्येक शिक्षक एक-एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ले। विभागवार अधिकारियों की संख्या अनुसार आकलन के तहत जिले में 70 हजार पौधारोपण का लक्ष्य बैठक में तय किया गया।

अन्य माध्यमों से भी सूचना दी

पौधारोपण करके वायुदूत अंकुर ऐप के माध्यम से जानकारी अपलोड की जा सकेगी अथवा एमपी सीएम इवेंट्स पोर्टल या मिस्डकाल के माध्यम से भी सूचना दी जा सकेगी। कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे वाले हिस्से में भी 200 पौधे लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने पौधारोपण को जनआंदोलन का रूप देने के लिए निर्देशित किया।

नगर निगम की कार्यवाही को लेकर विधायक चेतन्य काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद विधायक ने किया आयुक्त को फोन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए।

डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है।

चर्चा कर दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया।

ये रहे उपस्थित

इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढा आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को रतलाम स्थित श्री गढ़ कैलाश मंदिर पहुंचे। उन्होंने आगामी महाशिवरात्रि त्योहार के दृष्टिगत मंदिर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर से जुड़े व्यक्तियों से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एसडीएम राजेश शुक्ला, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया आदि उपस्थित थे।

स्वतंत्र समय 28-2-22

सीवरेज ट्रीटेड वाटर का रियूज कर भू-जल स्तर बचायें

स्वतंत्र समय, रतलाम। नगर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटेड वॉटर की प्रति किलो लीटर के मान से दर निर्धारित कर निर्माण कार्य, उद्यानों-खेतों में सिंचाई सहित अन्य कार्यों में उपयोग हेतु खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट पर विक्रय प्रारंभ कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि रतलाम शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड पर 4.50 एमएलडी व खेतलपुर में 3.35 एमएलडी सीवरेज वॉटर ट्रीटेड होना प्रारंभ हो चुका है। इसके विक्रय हेतु नगर निगम द्वारा दरें निर्धारित की गई है जिसके तहत 50/- प्रति किलोलीटर, 3000 क्षमता टैंकर 150/-, 4000 क्षमता टैंकर 200/-, 5000 क्षमता टैंकर 250/-, 12000 क्षमता टैंकर 600/-, 24000 क्षमता टैंकर 1200/- है। नागरिक भवन व अन्य निर्माण कार्यों, खेतों व बगीचों में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल का पानी उपयोग ना करते हुए रियायती दर पर नगर निगम के एसटीपी प्लांट से ट्रीटेड वॉटर क्रय कर सकतें है जिससे राशि की बचत होने के साथ ही भू-जलस्तर भी बना रहेगा।

विधायक चेतन्य काश्यप से मिले व्यापारी

प्रजातंत्र 28-2-22

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। विधायक काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए।

डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहां कार्रवाई कर रहा है।

कार्रवाई को लेकर विधायक काश्यप से मिले डिस्पोजल व्यापारी

रतलाम। नगर निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर डिस्पोजल व्यापारी संघ का प्रतिनिधि मंडल विधायक चेतन्य काश्यप से मिला और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। विधायक श्री काश्यप ने नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर उन्हें व्यापारियों के साथ बैठक करने, शासन के नियमों एवं आदेश से अवगत कराने एवं व्यापारियों को भरोसे में लेकर पर्याप्त समय देने के निर्देश दिए। डिस्पोजल व्यापारी संघ अध्यक्ष संजय पारख ने बताया कि शासन द्वारा 1 जुलाई 2022 से 100 माईक्रोन से कम के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नगर निगम अभी से शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन एक तरफ नमकीन क्लस्टर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यापारियों को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ निगम का अमला कार्यवाही कर रहा है। शहर में दुग्ध संघ द्वारा दुध एवं लस्सी का विक्रय भी डिस्पोजल में हो रहा है लेकिन नगर निगम का अमला शहर के छोटे व्यवसायियों के यहीं कार्यवाही कर रहा है। श्री काश्यप ने व्यापारी संघ का पक्ष सुनने के बाद निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया से चर्चा की और उन्हें निर्देशित किया। इस दौरान व्यापारी संघ के राहुल पोखरना, अर्पित अग्रवाल, विजय अग्रवाल, यशवंत राठौर, संदीप उपाध्याय, शेखर घोचा, त्रिलोक तिकवानी, प्रमोद लोढ़ा आदि उपस्थित रहे।

प्रभात किरण 28-2-22